

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस.टी.)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 = 200 के आधार पर जनवरी 2022 से जून 2022 के औसत सूचकांक 1693 पर निम्न तालिका के अनुसार परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें देय होंगी :-
दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 1693 पर दिनांक : 01-08-2022 से दिनांक : 31-01-2023 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा-


$$\frac{(1693 - 426) \times 2535.00}{426} = 7539.5 \text{ या } 7540$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1693 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक : 01-08-2022 से दिनांक : 31-01-2023 तक
1	अकुशल	2535.00	7540
2	अर्द्धकुशल	2785.00	8283
3	कुशल	3090.00	9190

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1693 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक : 01-08-2022 से दिनांक : 31-01-2023 तक
1	अकुशल	2660.00	7911
2	अर्द्धकुशल	2925.00	8699
3	कुशल	3190.00	9488


(शीला सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।


कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी। 0

संख्या : 2843 / 4-01/07

दिनांक : 08.08.2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।


(शीला सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2021 के औसत सूचकांक 358 पर दिनांक 01-04-2022 से 30-09-2022 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(358-301) \times 20 = 1140.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू०
1	2	3	4
1.	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309/VIII/19-228 (श्रम) /2001- पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
2.	सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	310/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
3.	पत्थर तोडने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1140.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1140.00
6.	आइसकैन्डी/आईस्कीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
10.	लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	1140.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1140.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1140.00
13.	पाटरी सिरमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1140.00
14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी है) के उद्योग में नियोजन	312/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00

15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
16.	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
17.	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1140.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1140.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1140.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	1140.00
22.	सिले सिलाए कपडों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1140.00
23.	बांघ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	1140.00
24.	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1140.00
25.	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
27.	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
28.	ऐसे अभिनियत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1140.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1140.00
30.	कपडा छपाई में नियोजन	313 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
31.	कलबों में नियोजन	314 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
34.	उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1140.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1140.00

36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
37.	सिलाई उद्योग में नियोजन	318/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
38.	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन	319/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
39.	छोटा मिनियेचन बल्व एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	320/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन	321/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
41.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	322/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
43.	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	324/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
44.	चाय बागान में नियोजन	325/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
45.	हौजरी उद्योग में नियोजन	326/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	327/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
47.	किसी तेल मिल में नियोजन	तदैव	1140.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन	तदैव	1140.00
49.	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
50.	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	329/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00

(4)

51.	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1140.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1140.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00

(संजय कुमार)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 1064

/4-01/13

दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(संजय कुमार)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:-286/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या- 11 सन् 1948) की धारा- 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 309/VIII/19-228(श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में "वाणिज्यिक अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड के दुकानों में नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आवादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)	उत्तराखण्ड के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अकुशल	12539	12391
2	अर्द्धकुशल	13280	13110
3	कुशल	14023	13838
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	15275	15035
	(क) श्रेणी-एक		
	(ख) श्रेणी- दो	14340	14139

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल:-

पल्लेदार, पैकर, बन्डलर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, सफाई मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल:-

गोडाउन कीपर, वेमैन, मिस्त्री, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोने और चांदी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे कुशलता प्राप्त कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अर्द्धकुशल कर्मचारी के मार्गदर्शन में हेल्पर या असिस्टेन्ट के रूप में कम से कम 05 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है।

3. कुशल -

ड्राईवर, मशीनमैन, बढई, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित, इलैक्ट्रिशियन, सोने और चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाइजर, केमिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे अर्द्धकुशल कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी -

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, विक्रीकर्ता, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, उगाही, तगादगीर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

कृम १११... (३)

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, विक्री प्रतिनिधि, कम्प्यूटर ऑपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 286 (1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।